छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी–मार्च, 2017 सत्र

वर्श 2017–2018 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

(मांग संख्या – 28, 30, 80, 19, 79 / 29, 10 से संबंधित)

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	**श्री अजय चंद्राकर**	28	राज्य विधान मण्डल
		30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय
2.	**श्री महेश गागड़ा**	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
		10	वन

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2017 सत्र में प्रस्तुत वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव.

वर्श 2017–2018 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
18. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य
19. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
20. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
22. श्री उमेश पटेल, सदस्य
23. श्री चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), सदस्य
24. श्री संतराम नेताम, सदस्य
25. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
26. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
27. श्री दीपक बैज, सदस्य
28. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
29. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
30. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
31. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
32. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
33. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य
34. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य
35. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य

मांग संख्या– 28

राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि रूपये 62,13,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक–47

श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों के वेतन एवं भत्ते आदि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 40,30,07,83,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के मनरेगा के अंतर्गत नियमित मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश में पंचायत शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।
(4) प्रदेश के ई–पंचायतों के निर्माण का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) पाटन विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत् सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की मजदूरी का भुगतान करने में सरकार असफल रही है।
(2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क के तहत ली गई सड़कों की मरम्मत पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तोरला, जौंदी चम्पारण तामासिवनी, परसदा वि.मं., खोरपा, निसदा, छटेरा, चरौदा, मोखला, कुम्हारी, टीला, परसदा आमनेर चण्डी आदि के ग्रामों के आंतरिक सड़कों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
(4) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के एक भी गांव के लिये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(5) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सारखी आमनेर सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

4. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गौरेला–ग्राम पंचायत ठाडपथरा से तवाडबरा तक 3 कि.मी., गौरेला–ग्राम पंचायत ठाडपथरा से ग्राम पंचायत केंवची तक 3 कि.मी. तथा कोटा विकासखण्ड पोड़ी ग्राम पंचायत से मोहदा, ग्राम पंचायत बिरगहनी, सेमरा सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम तेलगान में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) ग्राम गिडर्री में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(3) ग्राम शिकारी महका में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(4) ग्राम मनहोरा में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(5) ग्राम हैडलकोडो में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(6) ग्राम बेलरगोड़ी (विधायक आदर्श ग्राम) में ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायत शिक्षकों को प्रतिमान वेतन देने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रधान मंत्री सड़क योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करने में सरकार असफल रही है।
(2) प्रदेश में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की तय सीमा पर मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिला अंतर्गत विकासखण्ड बलौदा के ग्राम लछनपुर के मुख्य मार्ग से रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से होते हुए मड़वा, तेन्दूभाठा होते करमंदी तक सड़क मार्ग को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के पंचायत शिक्षकों की मांगों को पूर्ण कर नियमित वेतन भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(3) जांजगीर–चांपा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मरत करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सरोरा, टण्डवा, अर्जुनी, सकरी, लटुवा, सुहेला, हथबंद, टोहड़ा ताराशिव में मंगलभवन/समरसता भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायत शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(3) छुईहा जलाशय के गहरीकरण/सौंदर्यीकरण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) पंचायत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में मनरेगा के तहत काये कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान समय पर करने का उल्लेख नहीं है।
(6) शिक्षक (पंचायत संवर्ग) को क्रमोन्नत वेतनमान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(7) मनरेगा में 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
(8) पंचायत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नौकरी में पुनः रखे जाने का उल्लेख नहीं है।
(9) प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के रखरखाव/मरम्मत करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(10) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(11) प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जन्म स्थली सोनाखान के बुनियादी विकास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर जिले के ग्रामों में हो रहे शौचालय निर्माण में अनियमितता एवं विलंब से हो रहे भुगतान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में डिजिटल योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को ई–प्रणाली योजना से जोड़ने के लिये ग्राम पंचायतों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को वापस लेने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में लंबित मनरेगा की मजदूरी का भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश के ग्राम पटेलों को मानदेय देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में कार्यरत 1,80,000 कार्यरत पंचायत शिक्षकों को क्रमोन्नति, भत्ते व अन्य राहत दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(6) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क मार्गों की जर्जर व खराब स्थिति है। डामरीकरण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बकाया मजदूरी भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़के के मार्ग (झींका से बीना मोंहदीपाठ–से–जेवरतला, बेलौदी से अरमरीकला, कमरौद से पिरीद, अर्जुन्दा से गब्दी, कुरही से बोरगहन, संबलपुर से गेजईडीक, बुंदेली से कोचारा, उछोली भीमकन्छार, बम्हनी पहुंच मार्ग के निर्माण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(2) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के 80 प्रतिशत काडा नाली निर्माण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

13. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का नवीनीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायत शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान एवं वेतन विसंगति को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(3) पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) मनरेगा में भ्रष्टचार को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
(5) मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों की लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(6) मनरेगा के तहत सामग्री के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
(7) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में समरसता भवन स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में कार्यरत पंचायत सचिवों को नियमित एवं वेतन वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
(3) जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत अध्यक्षों को फंड (निधि) देने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

15. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) महवाही क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(2) आकस्मिक निधन के बाद पंचायत शिक्षकों के आश्रित परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की शर्तों में छूट देने का उल्लेख नहीं है।

16. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आदर्श ग्रामों पर्याप्त विकास कार्यों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(2) खरखरा जलाशय से सिंचाई सुविधा, पेयजल एवं निस्तारी सुविधा डौंडीलोहारा में दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पहुंच मार्ग एवं पुल–पुलिया निर्माण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(4) डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ निर्माण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रामपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों के निर्माण/संधारण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश की पंचायतों में कार्यरत पंचायत शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति एवं प्रचलित वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में मनरेगा के तहत नियमित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

19. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में मनरेगा के तहत नियमित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायती राज व्यवस्था में लगे कम्प्यूटर ऑपरेटरों को शासकीय सेवा में लिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(2) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत टेड़मुण्डा लभा, सलना मार्ग 4 कि.मी. की स्वीकृति देने का उल्लेख नहीं है।
(3) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दण्डवन से मारागांव (जिला–कोण्डागांव) मार्ग 4 कि.मी. की स्वीकृति देने का उल्लेख नहीं है।
(4) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बुड़रा से लभा दण्डवन मार्ग 4 कि.मी. की स्वीकृति देने का उल्लेख नहीं है।
(5) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काटागांव से ओण्डरी मार्ग 1.90 कि.मी. की स्वीकृति देने का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित दिवसों का रोजगार हितग्राहियों को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के ग्रामीण (अंदरूनी) क्षेत्रों के विकास हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(8) माकड़ी विकासखण्ड के 100 से 249 तक की बसाहट वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से सीधे सम्पर्क हेतु सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
(9) प्रदेश में मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों की मजदूरी व सामग्री का भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(10) प्रदेश के पंचायत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
(11) पंचायत शिक्षकों को मासिक वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(12) पंचायत शिक्षकों को संविलियन, नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(13) पंचायत सचिवों की वेतन विसंगति दूर करने एवं नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।
(14) कोण्डागांव जिले में मनरेगा की मजदूरी राशि पोस्ट आफिसों में लंबित है जिसके भुगतान कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(15) पंचायत शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति देने का उल्लेख नहीं है।

21. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश की पंचायतों एवं विद्यालयों में मूलभूत सुविधा बिजली, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
(2) पंचायत शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की लंबित मजदूरी भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
(4) प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागजों में है प्रदेश की राजधानी रायपुर एवं अन्य सभी शहरों में इस कारगार उपाय को किये जाने का उल्लेख नहीं है।

22. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बुड़गहन (बतौडा) बुड़गहन से कर्रानाला पहुंच मार्ग लम्बाई 3 कि.मी. निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलई मुख्य मार्ग से मुड़पार पहुंच मार्ग लम्बाई 3 कि.मी. निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत परमढा से कापन पहुंच मार्ग लम्बाई 3.50 कि.मी. निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनाइला से नदी पहुंच मार्ग लम्बाई 4 कि.मी. निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(5) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीपाली से अर्धनागेश्वर तक सी.सी. रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
(6) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनबरसा से अचानकपुर धनुहार पारा तक सी.सी. रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

23. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम हिर्री नैनुधर के पास सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) संयुक्त कर्मचारी पेंशनर संघ भवन फरसगांव निर्माण कराये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

24. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संजारी–बालोद विधान सभा क्षेत्र के सभी आवश्यक ग्रामों के लिये राशिा का कोई उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग की मांगों की पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(3) मनरेगा के अतंर्गत निर्धारित दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 40,01,62,92,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के भवन विहीन पंचायतों में सर्वसुविधायुक्त पंचायत भवन के निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
(2) प्रदेश में ई–डिजिटल पंचायतों को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में समरसता भवन स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।
(2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों (तामासिवनी, पारागांव, तोरला) में मिनी स्टेडियम निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़कों के रख–रखाव का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मनरेगा के तहत 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम टांधना में पानी टंकी निर्माण (पेयजल) उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(2) कोण्डागांव विधान सभा की प्रधान मंत्री सड़कों का खस्ताहाल हो रही है इनके मरम्मत एवं सुधार करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि रूपये **18,59,77,90,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 17

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के संरक्षित आदिवासी परिवारों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(4) प्रदेश के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाईयों के समुचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(5) प्रदेश के अस्पतालों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर भर्ती का शीघ्र प्रावधान नहीं किया गया है।
(6) प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकीय कार्यों से संबंधित रिक्त पदों पर नियुक्तियों का प्रावधान नहीं किया गया है।
(7) प्रदेश के शासकीय चिकित्सकों को निजी अस्पतालों में सेवा से प्रतिबंधित करने का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शव वाहन की व्यवस्थाकरने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में नकली दवाई के निर्माण को रोकने का प्रावधान नहीं है।
(3) स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का अभाव है।
(4) प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने में सरकार असफल रहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण के गोगांव वार्ड क्रमांक–3 में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
(2) नगर निगम बिरगांव में 100 बिस्तर चिकित्सालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।
(3) रायपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक–4 गोदवारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रावधान नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर के समस्त विकासखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर डॉक्टर एवं नर्सों की पदस्थापना किये जाने का प्रावधान नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर संभाग अन्तर्गत संचालित अस्पतालों में चिकित्सकों की व्यापक पैमाने पर कमी है।

6. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तो की है, किन्तु डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का प्रावधान नहीं है।

7. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश में विभिन्न जिलों में नसबंदी से महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करने का प्रावधान नहीं है।
(4) प्रदेश में अमानक स्तर की जीवनरक्षक दवाईयों की बिक्री को रोकने का प्रावधान नहीं है।
(5) अभनपुर क्षेत्र के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ नहीं है।

8. श्री मोतीलाल देवांगन , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चांपा के शासकीय बी.डी.एम. अस्पताल में बर्न यूनिट व जिला अस्पताल में सीटी स्केन प्रारंभ किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(2) जांजगीर जिला अस्पताल में बर्न यूनिट का समुचित संचालन, सिटी स्केन व सिकलसेल इलाज की व्यवस्थज्ञा किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(3) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैंसमुड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाने का प्रावधान नहीं है।

9. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के चिकित्सालयों में गलत उपचार एवं घटिया दवाईयों के वितरण से आये दिन लोगों की मौत होती जिस रोकने का प्रावधान नहीं किया गया है।
(2) प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।
(3) प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

10. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला बस्तर अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में गरीबों की निःशुल्क दवा उपचार जांच परीक्षण हेतु सुविधा प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में अमानक व नकली दवाईयों की खरीदी एवं वितरण को रोकने का प्रावधान नहीं है।
(3) जिला बस्तर अन्तर्गत चिकित्सकों के अनेक पद रिक्त हैं। चिकित्सकों के पदों की पूर्ति करने का प्रावधान नहीं है।

11. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खंड चिकित्सा अधिकारी (बी.एम.ओ.) के पद पर नियमित भर्ती करने का प्रावधान नहीं है।
(2) आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत् उन डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि देने का उल्लेख नहीं है, जिनको प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है।
(3) 242 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा देने का उल्लेख हैं, परन्तु वहां डॉक्टरों की पदस्थापना किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेण्ड्रा में 30 बिस्तर अस्पताल भवन बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(5) सिकलसेल इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने, भवन निर्माण करने व वहां रिक्त पदों की पूर्ति करने का प्रावधान नहीं है।
(6) सेनेटोरियम गौरेला में नव निर्मित मातृ शिशु क्लीनिक को पी.पी.पी. मॉडल पर देने का उल्लेख नहीं है।

(7) सी.एच.सी. में रिक्त डॉक्टरों के पद पर नवीन भर्ती किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(8) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत स्मार्ट कार्ड काम नहीं करने पर पीड़ितों का निःशुल्क इलाज कराने का प्रावधान नहीं है।
(9) अस्पतालों में गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
(10) सिकलसेल बीमारी से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
(11) पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना कराये जाने का प्रावधान नहीं है।
(12) राज्य के अस्पतालों में गुर्दा रोग के रोगियों के डायलिसिस हेतु मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

12. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुन्दा के चिकित्सकों, कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
(2) गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम सिकोसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।

13. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं स्टाफ की पूर्ति हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
(2) प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पूर्ति करने का प्रावधान नहीं किया गया है।
(3) उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहतरा, छल्दा, सुहेला, नवापारा, जरौद, रावन, हिरमी, लावर में खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

14. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में नवीन चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में इस बजट में समुचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
(3) मस्तुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बर्न यूनिट स्थापना का प्रावधान नहीं है।

15. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) महारानी अस्पताल, जगदलपुर में उच्च तकनीक युक्त उपकरण व अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश में अमानक व नकली दवाईयों की खरीदी एवं वितरण को रोकने का प्रावधान नहीं है।
(3) बस्तर जिले में स्वास्थ्य सेवाएं को सुदृढ़ बनाये जाने का प्रावधान नहीं है।
(4) प्रदेश में 108 एवं 102 वाहन की बढ़ोत्तरी करने का प्रावधान नहीं है।
(5) बस्तर जिलान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में गरीबों का निःशुल्क उपचार, दवाईयां, जांच एवं परीक्षण की सुविधा दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
(6) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के लोहण्डीगुड़ा, तोकापाल, दरभा व बास्तानार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक्स–रे मशीन व अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
(7) बस्तर जिले में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
(8) बस्तर में डॉक्टर एवं महिला डॉक्टर के रिक्त पदों की पूर्ति करने का प्रावधान नहीं है।

16. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम कचंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(2) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम जर्वे में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(3) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बड़े खेली में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभा करने का उल्लेख नहीं है।
(4) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम छपोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(5) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के अन्तर्गत विधायक आदर्श ग्राम देवरघट्टा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
(6) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनीडीह में बिस्तर बढ़ाये जाने का प्रावधान नहीं है।
(7) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैजैपुर में बिस्तर बढ़ाये जाने का प्रावधान नहीं है।

17. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सल क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित नर्सों व स्टाफ की तैनाती सहित समुचित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

18. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र के बहुत ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग के बावजूद बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
(2) आलीवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं है।
(3) ग्राम बोरतलाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

19. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले स्मार्ट कार्डों को निश्चित समय सीमा में बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में अमानक एवं नकली दवाईयों की खरीदी एवं वितरण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
(4) दवाईयों की खरीदी में व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

20. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बिस्तर एवं कुसुमकसा में 50 बिस्तर अस्पताल को बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है।
(2) क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के प्रसव के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(3) क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला डॉक्टर एवं डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति का उल्लेख नहीं है।

21. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों में 108 संजीवनी की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(2) प्रदेश के अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाईयों की समुचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
(3) प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का प्रावधान नहीं है।

22. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का प्रावधान नहीं है।

23. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामरी विधान सभा क्षेत्र में नवीन स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का प्रावधान नहीं किया गया है।
(2) सामरी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों की पूर्ति एवं नवीन पदस्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
(3) सामरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्थ्ज्ञा का प्रावधान नहीं किया गया है।

24. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला चिकित्सालय कांकेर को सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का दर्जा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) जिला चिकित्सालय कांकेर में पूर्व में बजट में प्रावधानित 100 बिस्तर से 200 बिस्तर की घोषणा किये जाने के बाद भी पूर्ण सुविधा से वंचित रखा गया है।

25. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है।
(2) प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया है।

26. श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासकीय जिला अस्पताल सूरजपुर के लिये विशेषज्ञ चिकित्सकों के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

27. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोकोड़ाजुंगानार में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

28. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने को प्रावधान नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 6,98,59,08,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 51

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

2. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दुर्ग में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

3. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में संचालित नर्सिंग कालेज में शिक्षा व्यवस्था सुधारने हेतु शिक्षकों की भर्ती के संबंध में मापदण्ड निर्धारित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कांकेर में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मतदेय राशि रूपये **3,60,36,48,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 21

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के न्यायालयों में दीर्घ अवधि से लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े परिवारों को सहज, सुगम सस्ती न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 10

वन

मतदेय राशि रूपये 10,17,85,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 10

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में हाथियों के द्वारा हो रही जानमाल की क्षति में नियंत्रण हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश के वनांचल क्षेत्रों के विकास हेतु आधुनिक संचार सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
(3) प्रदेश के वनांचल क्षेत्र के आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक विकास योजना के प्रावधान हेतु उल्लेख नहीं है।
(4) लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
(5) प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना के तहत, वृक्षारोपण हेतु पारदर्शी योजना का उल्लेख नहीं है।
(6) वन विभाग में वृक्षारोपण के नाम पर किए जा रहे आर्थिक अनियमितता की रोकथाम हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(7) लघु वनोपज आधारित परिवारों के आर्थिक उत्थान की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(8) वन उत्पादों से संबंधित समितियों के सामाजिक आर्थिक विकास का उल्लेख नहीं है।
(9) प्रदेश के वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों हेतु केरोसिन की समुचित उपलब्धता हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) व्यक्तिगत एवं सामूहिक वनाधिकार दिलाने में सरकार असफल रही है।
(2) वन ग्रामों के विकास हेतु प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने में सरकार असफल रही है।
(2) वन्य क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमले से वनवासियों की हो रही मौत को रोकने हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर में वनों के संरक्षण हेतु समुचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

5. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों की अवैध कटाई रोकने में सरकार असफल रही है।
(2) वनोपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विकासखंड कोटा के ग्राम पंचायत दलहाबाबा एवं सल्कानवागांव में वन विकास निगम द्वारा ट्रेचिंग कराने एवं फलदार वृक्ष लगाने एवं जामवंत योजना हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सरकार के द्वारा रोड निर्माण के कारण पेड़ो की कटाई एवं किए गए वृक्षारोपण की देखरेख हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

8. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यो में हो रही धांघली को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में जंगली हाथियों के आक्रमणों से हो रहे जनधन की हानि को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) रायपुर एवं महासमुंद जिलों की ग्रामों में जंगली सुअर द्वारा किए जा रहे फसलों के नुकसान को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(4) अभनपुर क्षेत्र के ग्रामों में बन्देलिन गायों द्वारा किए जा रहे फसलों की क्षति को रोकने एवं गायों को जंगल तक पहुंचाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(5) जंगल सफारी में बंदेलहिन गायों (फेरल) को तथा जंगली सुअरों हेतु अलग–अलग बाड़ा निर्माण का उल्लेख नहीं है।
(6) प्रदेश में वनोपज के समर्थन मूल्य एवं खरीदी केन्द्रों की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
(7) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।

9. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यो में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असफल रही है।
(2) प्रदेश में वनों की अवैध कटाई को रोकने में सरकार असफल रही है।
(3) संजारी बालोद विधानसभा के जर्जर वन मार्गो के नवीनीकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

10. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं उनके अवैध शिकार को रोकने में सरकार असफल रही है।

11. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर में वनों की अवैध कटाई रोकने में सरकार असफल रही है।
(2) बस्तर के वनोपज का सही मूल्य दिलाने एवं बिचौलियों की रोकथाम में सरकार असफल रही है।
(3) अन्य परम्परागत रूप से निवास कर रहे परिवारों को वन अधिकार पट्टा वितरण करने में सरकार असफल रही है।

12. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुरमा से कटरा पहुंच मार्ग, खिसोरा चेक पोस्ट से जोगीपेन्ड्री पहुंच मार्ग, जोगी पेन्ड्री से कटरा पहुंच मार्ग, खिसोरा से कुडरा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

13. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के रनगरमार से डोरडोमा तक की जर्जर सड़क में सुधार हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

14. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अण्डी से कोटनापानी मार्ग में पुल–पुलिया निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

15. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों के अवैध कटाई को रोकन हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में समुचित पेड़ों के रखरखाव हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

16. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में वनों की अवैध कटाई रोकने में सरकार असफल रही है।

17. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(2) प्रदेश में हाथियों के आंतक को रोकने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
(3) वनों की अवैध कटाई करने में सरकार असफल रही है।
(4) प्रदेश में वन संरक्षण हेतु उचित उपाय करने में सरकार असफल रही है।
(5) प्रदेश में वन्य प्राणियों की सुरक्षा करने में सरकार असफल रही है।

18. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शहरी क्षेत्रों में झाड के छोटे–छोटे जंगलों के रूप में असंरक्षीत वन भूमि के रूप दर्ज भूमि के मद परिवर्तन का उल्लेख नहीं है।
(2) वन भूमि पर काबिज हजारों आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पट्टा दिलाने का उल्लेख नहीं है।
(3) वन क्षेत्रों में वनोपजों को खरीदने हेतु उचित व्यवस्था करने में सरकार असफल रही है।
(4) प्रदेश के वन ग्रामों में मुलभूत सुविधाओं हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

19. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वनों की सुरक्षा के लिए उचित कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) वन क्षेत्रों में अवैध कटाई रोकने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(3) वन क्षेत्रों के पहुंच मार्गो हेतु पुलिया–पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

20. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वन्य जीवों द्वारा फसलों एवं जानमाल के नुकसान के स्थायी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
(2) लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

21. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में अवैध वन कटाई पर नियंत्रण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
(2) लघु वनोपज के मूल्यों में वृद्धि हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

22. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सरगुजा संभाग में हाथियों के आतंक एवं जनधन हानि से बचाने हेतु बलरामपुर जिला के सेमरसोत अम्यारण्य में स्थायी हाथि रहवासी केन्द्र खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

23. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बकावंड व बस्तर की बंजर भूमियों पर पौधरोपण एवं रखरखाव के संबंध में उल्लेख नहीं है।
(2) बस्तर विधानसभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बस्तर व बकावंड के वनों के सुधार एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नही है।
(3) बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बकावण्ड व बस्तर के वनग्रामों के ग्रामीणों को वन अधिकार पट्टा वितरण करने में सरकार असफल रही है।
(4) प्रदेश के वनों में हो रही अवैध कटाई पर नियंत्रण में सरकार असफल रही है।